

निर्णय बईजलास श्री सिद्धार्थ सिहाग आई0ए0एस0 जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,  
झालावाड़(राजस्थान)

मि0न0: 27/प्रा0पत्र/19

इण्डिया शेल्टर फाईनेन्स कॉर्पोरेशन लि0 जरिये प्राधिकृत अधिकारी शाखा कार्यालय रतन  
श्री कॉम्प्लेक्स, पेट्रोल पम्प के पास,मैन मार्केट झालरापाटन ..... प्रार्थी(प्रतिभूति लेनदार)  
बनाम

01. श्रीमति कमला बाई पत्नी स्व0 रामलाल निवासी-खसरा न0 224,राम मन्दिर के पास  
ग्राम सराण तितरवासा,ग्राम पंचायत झूमकी पंचायत समिति झालरापाटन (ऋणी)
02. छगनलाल पुत्र स्व0 रामलाल निवासी-खसरा न0 224,राम मन्दिर के पास ग्राम सराण  
तितरवासा,ग्राम पंचायत झूमकी पंचायत समिति झालरापाटन (सह ऋणी)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का  
प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और

-: निर्णय :-

दिनांक: 08.7.2019

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा जर्जे प्राधिकृत अधिकारी प्रस्तुत किया गया है अपने प्रार्थना पत्र में  
निवेदन किया गया है कि अप्रार्थी द्वारा कम्पनी से दिनांक 14.08.2017 को 3,00,000 /-रु. का ऋण लिया  
गया था। अप्रार्थी ने उक्त ऋण मय ब्याज के भुगतान की सिक््योरिटी के पेटे ग्राम सराण,ग्राम पंचायत  
झूमकी पंचायत समिति झालरापाटन स्थित अचल आवासीय सम्पत्ति जो छगनलाल पुत्र रामलाल के नाम से  
है जिसका क्षेत्रफल 624 वर्गफीट है को प्रार्थी कम्पनी के पास रहन किया गया था। अप्रार्थी द्वारा नियमित  
रूप से उक्त ऋण का भुगतान नहीं करने पर दिनांक 30.06.2018 को व्यक्ति कम डिफाल्ट होने पर एन.पी.  
ए. घोषित कर दिया। अप्रार्थी के खाते में दिनांक 31.07.2018 तक शेष व देय बकाया 3,16,664/-रुपये  
(अक्षरे तीन लाख सौलह हजार छ सौ चौसठ मात्र) वसूली योग्य होने व उसका भुगतान नहीं करने पर  
प्रार्थी कम्पनी ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस भी प्रेषित किये गये जिसकी प्राप्ति के बाद  
भी देय राशि का अप्रार्थी द्वारा भुगतान नहीं किया गया है। उक्त एक्ट के प्रावधानों के अनुसार प्रार्थी  
कम्पनी अप्रार्थी द्वारा बैंक के पास रहन शुदा सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने व विक्रय कर शेष देय राशि  
वसूल करने की अधिकारी है। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर सिक््योरिटी के पेटे रहन अचल सम्पत्ति का कब्जा  
अप्रार्थी से प्राप्त कर प्रार्थी बैंक या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलाने हेतु अनुरोध किया गया है।

सरफैसी अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत ऋणी को सुनने का प्रावधान नहीं है। अतः हमारे  
द्वारा पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया गया। कम्पनी को अप्रार्थी द्वारा ऋण का भुगतान नहीं करने  
पर दिनांक 30.06.2018 व्यक्ति कम डिफाल्ट होने पर एन.पी.ए. घोषित किया गया है, अप्रार्थी के विरुद्ध 31.  
07.2018 तक शेष व देय बकाया 3,16,664/-रुपये (अक्षरे तीन लाख सौलह हजार छ सौ चौसठ मात्र)  
निकलते थे उक्त राशि का भुगतान करने के लिये अप्रार्थी जिम्मेदार है। अप्रार्थी द्वारा कम्पनी से लिये गये  
ऋण की राशि का नियमानुसार भुगतान नहीं किये जाने, तत्पश्चात प्रार्थी कम्पनी द्वारा बकाया मांग राशि  
की प्राप्ति हेतु नियमों के परिपेक्ष्य में समुचित कार्यवाही करने तत्पश्चात भी मांग राशि का भुगतान अप्रार्थी  
द्वारा नहीं किये जाने पर प्रार्थी कम्पनी द्वारा जरिये प्राधिकृत अधिकारी वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण  
और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा की धारा 14 के तहत बैंक द्वारा  
गिरवीकृत परिसम्पत्ति का भौतिक कब्जा बैंक को सुपुर्द करने की मांग की गई है। सरफैसी एक्ट के तहत  
जिला मजिस्ट्रेट की सन्तुष्टी पश्चात जमानत स्वरूप बन्धक रखी गई सम्पत्ति को कम्पनी को कब्जे में  
दिलवाने में सहयोग करने हेतु अधिकृत किया गया है- बैंक/प्रार्थी कम्पनी द्वारा समस्त विधिक  
औपचारिकताओं की पूर्ति की गई है। अतः वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति  
हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रा0पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है।  
ऋण की अदायगी हेतु अप्रार्थी द्वारा कम्पनी में गिरवीकृत सम्पत्ति ग्राम सराण,ग्राम पंचायत झूमकी,पंचायत  
समिति झालरापाटन स्थित अचल आवासीय सम्पत्ति जो छगनलाल पुत्र रामलाल के नाम से है जिसका  
क्षेत्रफल 624 वर्गफीट है पर शांति पूर्वक मौके पर भौतिक कब्जा प्रार्थी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को दिलाये  
जाने हेतु पुलिस अधीक्षक,झालावाड़ को आदेशित किया जाता है। प्रार्थी बैंक/कम्पनी इस बाबत पुलिस  
अधीक्षक,झालावाड़ से सम्पर्क कर बैंक में गिरवीकृत सम्पत्ति को अपने अधिकार में लेने की कार्यवाही करें।  
निर्णय की प्रति प्रार्थी बैंक व पुलिस अधीक्षक,झालावाड़ को भिजवाई जावे। सरफैसी अधिनियम की धारा 14  
के अन्तर्गत ऋणी को सुनने का प्रावधान नहीं है किन्तु प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों को दृष्टिगत रखते हुए  
निर्णय की प्रति अप्रार्थी को भी भिजवाया जाना उचित होगा जिससे वह ऋण दाता से सम्पर्क स्थापित कर  
ऋण चुकता कर प्रकरण का निस्तारण करा सके, इसी क्रम में अप्रार्थी को इस आदेश से असन्तुष्ट होने  
की दशा में सक्षम न्यायालय से अनुतोष प्राप्त करने हेतु एक माह की अवधि प्रदान की जाती है जिसके  
पश्चात यह निर्णय प्रभावी हो जावेगा व प्रार्थी बैंक/कम्पनी द्वारा अग्रिम कार्यवाही अमल में लाई जा  
सकेगी। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तामील तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक: 08.07.2019 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया

गया।

(सिद्धार्थ सिहाग)

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,

झालावाड़